

झारखण्ड सरकार  
भवन निर्माण विभाग

90

पत्रांक:- भ०नि०यो०-2-विविध-10/13

दिनांक:-

प्रेषक :-

अभियन्ता प्रमुख,  
भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

मेनहर्ट सिंगापुर पी०टी०आई०लि०,  
ए०-8, सेक्टर-16, नोएडा,  
उत्तर प्रदेश-201301

विषय :-

मेगा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, होटवार, राँची का परामर्शी सेवा और निर्माण पर्यवेक्षण कार्यों में शिथिलता बरतने एवं निर्माण कार्य बिना पूर्ण कराये पर्यवेक्षण कार्य छोड़ देने के कारण काली सूची में डालने के उपरान्त माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा M/S Kulja Industries v/s BSNL के न्यायादेश के आलोक में अवधि निर्धारित करने के लिए दिए गए आदेश के आलोक में अवधि निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक झारखण्ड भवन निर्माण विभाग अंतर्गत प्रवृत्त ठेकेदारी सूचीकरण नियमावली-2003 में अंगीकृति अधिसूचना सं०-भ०नि०/निबंधन-2-1/01 1755(भ), दिनांक-17.06.03 के नियम-18 के उप नियम 'ख', 'ग', 'ज' में उल्लिखित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन के कारण पत्रांक-अ०प्र०/भ०/मु०का०-201/07-920(E) दिनांक-16.12.10 द्वारा काली सूची में डाला गया।

उच्चतम न्यायालय के Civil Appeal No.-9706 of 2014 (@ S.L.P. (C) No. 16048 of 2012) में M/S Kulja Industries case के observation में कालीकरण की अवधि निर्धारित करने का निदेश दिया गया।

भवन निर्माण विभाग द्वारा अधिसूचना सं०-भ०नि०/निबंधन-2-1/01 1755(भ), दिनांक-17.06.03 के नियम-18 के उप नियम 'ख', 'ग', 'ज' में उल्लिखित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण काली सूची में डालने की अवधि को माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के आलोक में विभागीय निर्णय के अनुसार काली सूची में डालने की तारीख (16.12.10) से 15 वर्ष की अवधि निर्धारित की जाती है।

1. काली सूची में रहने की अवधि दिनांक 16.12.10 से 15.12.25 तक प्रभावी रहेगी।
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।
3. पूर्व के आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

विश्वासभाजन

हस्ताक्षर

अभियन्ता प्रमुख  
भवन निर्माण विभाग, राँची।

जारी.....2

सचिव

उप-संयोजन विभाग, बिहार, पटना

4417

29.6.15

17/4/15  
30/06/15

504/15-11  
30.6.15

93/15  
30.6.15

6/1/15  
30/6/15

ज्ञापांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह

अभियन्ता प्रमुख  
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ऊर्जा विभाग/ नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह

अभियन्ता प्रमुख  
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश/सचिव, पथ निर्माण विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/सचिव, ऊर्जा विभाग/ सचिव, जल संसाधन विभाग एवं नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह

अभियन्ता प्रमुख  
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :-

1729 (न)

दिनांक :- 23.6.15

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग एवं प्रधान सचिव नगर विकास विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक- 11/विधि-06-07/2015-

55 पटना, दिनांक- 04.01.2016

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार (यांत्रिक सहित)/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-2, 3 एवं बाढ़/ निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन/आईटीओ मैनेजर (नेट पर डालने हेतु), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

110-251-6

04.01.16  
(नागेश्वर प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।